गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 210

दिनांक 11.12.2018/20 अग्रहायण,1940 (शक) को उत्तर के लिए

तितली चक्रवात के कारण हुई हानि

†210. डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू:
श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू:

क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश में तितली चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित नुकसान कितना है और केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी राहत राशि जारी की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): जी हाँ। वर्ष 2018 के तितली चक्रवात के लिए अस्थायी उपायों के लिए 1330.67 करोड़ रुपये की सहायता की मांग करने वाली आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) के मानदंडों के अनुरूप नुकसान का आकलन किया था। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 06.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2018 के चक्रवात 'तितली' के लिए एनडीआरएफ से 539.52 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी है।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दोनों किस्तों की 458.10 करोड़ रूपए राशि भी तत्काल राहत के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ से जारी की गई थी।